Polity

राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है।

The president will take the opinion of the Election Commission and will act according to its opinion. The decision on the disqualification of members of Parliament on the basis of defection is taken by the Speaker in the Lok Sabha and by the Chairman in the Rajya Sabha.

Q ⇒ निर्योग्यता
Disqualification

? ⇒ प्रश्न - दल-बदल

कोई सदस्य निर्योग्य होगा या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है।

कार्यकाल (LS) ⇒ 5 वर्ष / years' (प्रथम बैठक के दिन से)

Tenure ⇒ 5 वर्ष पुर्व भंग - राष्ट्रपति द्वारा PM की सलाह पर
↳ हाँ, yes → राष्ट्रीय आपातकाल के समय

कार्यकाल [Tenure]

अनु० 83 (2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। परन्तु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है।

According to Article 83 (2), the term of the Lok Sabha is 5 years from the date of its first meeting. However, even before this period, it can be dissolved by the president on the advice of the prime minister.

आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी। उल्लेखनीय है When the proclamation of emergency is in effect, the parliament can by law extend the term of the Lok Sabha, which shall not exceed one year at a time. It is noteworthy.

कि दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए (18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 एवं 18 मार्च 1977

से 18 मार्च 1978 तक) बढ़ाया गया था (1975-III, 1971-II)
That due to the second emergency proclamation, the term of the fifth Lok Sabha was extended twice for one year each (from 18 March 1976 to 18 March 1977 and from 18 March 1977 to 18 March 1978

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [Oath taking by members]

Article 99 अनुच्छेद 99 -

↳ LS या राज्यसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है

शपथ ⇒ Schedule - 3
अनुसूची - 3

(18) वीं लोकसभा ← नये (MP)
↳ प्रोटेम स्पीकर ⇒ भर्तृहरि मेहताब

⇒ **प्रोटेम स्पीकर** (अस्थायी / Adhoc) ⇒ कार्यकाल ⇒ सदस्यों के शपथ ग्रहण तक अपने पद पर रहते हैं।
↳ नियुक्ति ⇒ राष्ट्रपति

अधिवेशन व गणपूर्ति [meeting and quorum]

अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति (Quorum) सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है

To Constitute a session a quorum of 1/10 th of the total number of members of the House is required.

LS → LS के कुल सदस्यों x 1/10

अधिवेशन / सत्र (Session) → LS / RS / विधानसभा (LA) / विधानपरिषद् (LC)

बैठक (meeting) → Quorum

गणपूर्ति (बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या)

⇒ अगर कोरम पूरा न हो तो LS अध्यक्ष / RS के सभापति बैठक को निलंबित Suspend कर सकते हैं।

LS के सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (Speaker & Deputy Speaker) → Art 93-97

⇒ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है।

⇒ लोकसभा की प्रथम बैठक में इन्हें चुना जाता है। Choose

⇒ कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष

लोकसभा अध्यक्ष नयी लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर रहता है।

⇒ त्यागपत्र ⇒ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को।

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष ⇒ दोनों को हटाने का तरीका एक है।

हटाता कौन है? ⇒ 14 दिन पूर्व सूचना (Before 14 days - Notice)

→ प्रस्ताव LS में पेश

→ प्रस्ताव पर चर्चा

→ प्रस्ताव पारित – साधारण बहुमत Simple Majority

उपाध्यक्ष का कार्य ⟹ जब अध्यक्ष का पद किसी कारण रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित (Absent) हो, तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

Q→ अगर दोनों का पद रिक्त हो?
तब राष्ट्रपति LS के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे।

Q→ अगर दोनों अनुपस्थित हो?
तब LS के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष [The Speaker and Deputy Speaker]

अनुच्छेद 93-97 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव करती है

Articles 93-97 are about the Speaker and Deputy Speaker. According to Article 93, the Lok Sabha Choose a Speaker and a Deputy Speaker from among its members in its first meeting.

अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को देता है। उन्हें लोकसभा के तत्कालीन - समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।

Present's voting X 50% +1

The Speaker gives his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker gives his resignation to the Speaker. They can be removed from their post by a resolution passed by a majority of all the them members of the Lok Sabha.

उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे भी हटाना हो न दे दी गई हो। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा।

The intention to move that resolution has not been given at least 14 days' notice to the Speaker or Deputy Speaker, whoever is to be removed The Speaker shall remain in his office until immediately before the first Session of the lok Sabha.

लोकसभा के अध्यक्ष रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलायी जाती है। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है।

No Separate Oath is administered as the Speaker of the Lok Sabha. Hence, no one administers the Oath to the Speaker of the Lok Sabha

राष्ट्रपति - Art 99

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की शपथ ⇒ ये दोनों MP के रूप में अनुसूची - 3 के अनुसार शपथ लेते हैं।

⇒ इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती।

सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification Members)

(i) संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 कोई लाभ का पद धारण करता है

holds any office of profit under Articles 101 and 102 of the Constitution

अयोग्यताएं

पद रिक्त का कारण

(ii) यदि वह विकृतचित है दिवालिया है;
if he is of unsound mind or insolvent;

(iii) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। if he is not a Citizen of India

(vi) यदि वह दल-बदल कानून के तहत अयोग्य हो
If he is disqualified under the anti-defection law

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य [Power and function of the Speaker]

→ वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है
He president over the meeting of the lok Sabha.

→ वह सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। He is responsible for maintaining peace and order in the House.

→ वह दल-बदल के आधार पर अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करता है। सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है।
He decides questions related to disqualification on the basis of defection.

लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्षता करता है। He presides over the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha
↳ बुलाता कौन है → राष्ट्रपति

कोई विधेयक धन-विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

पक्ष ← 50:50 → विपक्ष 60:40

सदन में पक्ष-विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देता है, अनु. 100 (1)
In case of an equal number of votes in the House, he casts the casting vote. Article 100 (1)

(LS)

प्रथम अध्यक्ष ⇒ जी० वी० मावलंकर
प्रथम महिला अध्यक्ष ⇒ मीरा कुमार
II " " ⇒ सुमित्रा महाजन
वर्तमान में ⇒ ओम बिड़ला